इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2023—वैशाख 8, शक 1945

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्र. पी.एच.एफ.डब्ल्यू.—0138—2022—सत्रह—मेडि—1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची — एक में, समूह 'ख' गैर—चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7—क.	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	1	प्रथम—श्रेणी	छठे वेतनमान में पीबी—3 रू.15600—39100+रू.7600 ग्रेड पे सातवे वेतनमान में लेवल — 14 (79900—211700)।"।

2. अनुसूची—एक में, समूह 'ख' गैर—चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 17 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुकमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"17.	"सहायक यंत्री (भण्डार)	1	— तदैव —	छठे वेतनमान में पीबी—2 रू.9300—34800+रू.4200 ग्रेड पे सातवे वेतनमान में लेवल — 10 (42700—135100) ।"।

3. अनुसूची–एक में, समूह 'ख' गैर–चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

4. अनुसूची–दो में, समूह 'ख' गैर–चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:–

अनु.क्र.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पद की कुल संख्या	कॉलम क्र.4 में दर्शाए गए पदों की प्रतिशतता जो सीधी भर्ती / पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जाएंगे				अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा {नियम 6(1)(क) देखिए}	सीधे पदोन्नति द्वारा {नियम 6(1)(ख) देखिए}	चयन द्वारा {नियम 6(1)(ग) देखिए}	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा {नियम 6(1)(घ) देखिए}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
"7 क.	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	प्रथम–श्रेणी	1	–	100 %	–	–	यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के किसी अधिकारी से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।"।

5. अनुसूची– दो में, समूह 'ख' गैर–चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 17 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पद की कुल संख्या	कॉलम क्र.4 में दर्शाए गए पदों की प्रतिशतता, जो सीधी भर्ती / पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जाएंगे				अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा {नियम 6(1)(क) देखिए}	सीधे पदोन्नति द्वारा {नियम 6(1)(ख) देखिए}	चयन द्वारा {नियम 6(1)(ग) देखिए}	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा {नियम 6(1)(घ) देखिए}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
"17.	सहायक यंत्री (भण्डार)	–तदैव–	1	–	100 %	–	–	यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के किसी अधिकारी से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।"।

6. अनुसूची– दो में, समूह 'ख' गैर–चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

7. अनुसूची–चार (ख) गैर–चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां, स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

अनुक्रमांक	उस पद या सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	उस पद की, जिससे कि पदोन्नति की जानी है, अनिवार्य अर्हता, यदि कोई हो तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	उप–यंत्री तकनीकी (तृतीय–श्रेणी सेवा)	सहायक यंत्री (भण्डार)	5 वर्ष	–तदैव–।"।

8. अनुसूची–चार (ख) गैर–चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए ।

9. अनुसूची–चार (ख) गैर–चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:–

अनुक्रमांक	उस पद या सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	उस पद की, जिससे कि पदोन्नति की जानी है, अनिवार्य अर्हता, यदि कोई हो तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"15–क	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	5 वर्ष	–तदैव– ।"।

No. PHEW/0138/2022/M-1 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2022 , namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Schedule-I, in Group 'B'- non-medical, after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

Sr. No.	**Name of Posts included in service**	**Number of Posts**	**Classification**	**Scale of Pay**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"7-A.	Superintending Engineer (Civil)	1	Class-I	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 7600 GP In 7th Pay Scale Level-14 (79900-211700)).».

2. In Schedule-I, in Group 'B'-Non-Medical, for serial Number 17 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"17	Assistant Engineer (Store)	1	--do--	In 6th Pay Scale PB-2 Rs 9300-34800 + Rs 4200 GP In 7th Pay Scale Level - 10 (42700-135100).".

3. In Schedule-I, in Group 'B'-Non-Medical, serial number 23 and entries relating thereto, shall be omitted,

4. In Schedule-II, in Group 'B'-non-medical, after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of posts shown in column no. 4 which will be filled by Direct Recruitment/Promotion/ Selection				Remark
				By Direct Recruitment {see rule 6(1)(a)}	By Direct Promotion {see rule 6(1)(b)}	By Selection {see rule 6(1)(c)}	By Transfer of persons from other services {see rule 6(1)(d)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
"7-A.	Superintending Engineer (Civil)	Class-I	1	-	100 %	-	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by the Deputation from the officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.".

5. In Schedule-II, in Group 'B'-Non-Medical, for serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of posts shown in column no. 4 which will be filled by Direct Recruitment/Promotion/Selection				Remark
				By Direct Recruitment {see rule 6(1)(a)}	By Direct Promotion {see rule 6(1)(b)}	By Selection {see rule 6(1)(c)}	By Transfer of persons from other services Selection {see rule 6(1)(d)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
"17.	Assistant Engineer (Store)	-Do-	1	-	100 %	-	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by the Deputation from an officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.".

6. In Schedule-II, In Group 'B'-Non-Medical, serial number 23 and entries relating thereto shall be omitted.

7. In Schedule-IV (b) non-medical, for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be substituted, namely :-

	Service from which promotion is to be made	**which promotion is to be made**	**if any, and other experience of the post from which promotion is to be made**	**the Departmental Promotion Committee**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"12.	Sub-Engineer Technical (Class-III Service)	Assistant Engineer (Store)	5 years	-do- .".

8. In Schedule-IV(b) non-medical, serial number 15 and entries relating thereto shall be omitted.
9. In Schedule-IV (b) non-medical, after serial number 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

Sr. No.	**Name of post or Service from which promotion is to be made**	**Name of post to which promotion is to be made**	**Essential Qualification, if any, and other experience of the post from which promotion is to be made**	**Name of Members of the Departmental Promotion Committee**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"15-A.	Executive Engineer (Civil)	Superintending Engineer(Civil)	5 years	-do- .".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.